



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246186
CG-DL-E-31052023-246186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]
No. 329]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 403(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (X) के परंतुक के खंड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे तथा निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पकग के खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(4) सामरिक विनिवेश के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से किसी व्यक्ति को प्राप्त किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी या कंपनी की कोई जंगम संपत्ति, जो साम्या शेयर है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'सामरिक विनिवेश' का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में है।”।

[अधिसूचना सं. 35 /2023/फा. सं. 370142/14/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ), तारीख 30 मई, 2023 द्वारा आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।